न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 34 / 2021

GCMS No-2021/118

प्रार्थी:–	**बनाम**	**अप्रार्थी :–**
श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली हाल बासंवाडा		मांगीलाल पुत्र श्री नवाराम चौधरी मैसर्स मां चामुण्डा डेयरी पार्लर प्रताप चौक बाली पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित
2. अप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक:– 23-06-2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी को बार बार आवाजे दिलवाई गई परन्तु वे न्यायालय में उपस्थित नही हुए। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली में पदस्थापित है। दिनांक 8.7.2020 को दौराने गश्त मैसर्स मां चामुण्डा डेयरी पार्लर प्रताप चौक बाली पर पहुंचा जहां पर अप्रार्थी मांगीलाल उपस्थित मिला जो पनीर की बिकी करता पाया गया जिसे प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया। अप्रार्थी की डेयरी का निरीक्षण करने पर पाया की डेयरी में रखे फ्रीज में लगभग 03 किलो पनीर बिक्री हेतु रखा हुआ था, जिसे अप्रार्थी आमजन को बिक्री कर रहा था, जिसमे मिलावट का शक होने पर मौके पर प्रपत्र 5 ए भरकर दिया दुसरे प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जाचं एफएसएसएक्ट के तहत ले रहा हुं। प्रपत्र 5ए पर प्रार्थी विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थित में वहा पर फ्रिज में रखे पनीर में से 01 किलोग्राम पनीर वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 300/–रूपये नकद विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की जिस पर प्रार्थी एंव विक्रेता के हस्ताक्षर है। क्रयशुदा पनीर को विक्रेता के सामने चार भागो में बांटकर चार साफ सुखी व खाली शीशी में बराबर मात्रा में

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

डालकर उसमें 20–20 बुंद फार्मेलिन की बतौर प्रीजरवेटीव डालकर प्रत्येक शीशी को एयर टाईट बंद कर दिया और प्रत्येक पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी पाली का कोड व सिरियल नम्बर आर–1065 अंकित कर नमुने का विवरण लिख दिया एवं प्रत्येक को नियमानुसार सीलबंद सीलमुहर किया एवं सभी पर विक्रेता एवं मैने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। मौके पर विक्रेता के समक्ष मौका फर्द तैयार कर विक्रेता को पढकर, सुनाया व हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वंय ने भी पढकर, सुनकर व समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वंय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये, जिसे नियमानुसार पैक कर कार्यालय के कर्मचारी श्री जान मोहम्मद के द्वारा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। खाद्य विश्लेषक एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर की जाचं रिपोर्ट संख्या एलएस/301/एक्ट/2020/301 दिनांक 24.07.2020 के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया पनीर का नमुना क्रमांक आर–1065 (Unsafe) असुरक्षित स्तर का पाया जाने पर अप्रार्थी द्वारा नमूने की पुनः जांच के लिए अपील करने के कारण नमूने की पुनः जांच रेफरल फूड लेबोरेटरी मैसूर से करवाई गई। रेफरल फूड लेबोरेटरी मैसूर की रिपोर्ट अनुसार जांच हेतु भिजवाया गया पनीर का नमूना (Sub Standard) अवमानक स्तर का पाया गया। इस प्रकार विक्रेता व मालिक मांगीलाल ने Sub Standard स्तर के पनीर का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जो एफएसएस एक्ट की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने पूर्व में प्रस्तुत अपने जवाब में कथन किया कि अप्रार्थी की दुकान से लिया गया पनीर का नमूना जो जाचं हेतु खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया था उसमें विधिवत प्रक्रिया की पालना नही की गई है। सम्पूर्ण परिवाद पढ़ने से स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने पनीर का नमूना अमानक जैसा कोई अपराध नही किया है। इसलिए अप्रार्थी को दोषमुक्त कर प्रकरण ड्रोप करने के आदेश प्रदान करावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पाली द्वारा प्रार्थी की फर्म मैसर्स मां चामुण्डा डेयरी पार्लर प्रताप चौक बाली पाली से नमुना क्रमांक आर–1065 पनीर का नमुना लेते समय नियमानुसार नमुना प्रपत्र तैयार कर विक्रेता के हस्ताक्षर कराये एवं समस्त कार्यवाही विक्रेता के सामने मौके पर हुई है, जिसकी ताईद मौका फर्द पर विक्रेता के हस्ताक्षर से होती है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 3.7.2019 को अप्रार्थी की डेयरी से पनीर क्रय कर नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाते हुए नमुना जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./525/एक्ट/ 2019/579 दिनांक 17.07.2019 के अनुसार उक्त नमूना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

कोड संख्या आर–947 को (Unsafe) असुरक्षित स्तर का पाया जाने पर अप्रार्थी द्वारा नमूने की पुनः जांच के लिए अपील की जाने पर नमूने की पुनः जांच रेफरल फूड लेबोरेटरी मैसूर से करवाई गई। रेफरल फूड लेबोरेटरी मैसूर की रिपोर्ट अनुसार जांच हेतु भिजवाया गया पनीर का नमूना (Sub Standard) अवमानक स्तर का पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) के पनीर का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 50,000 / – अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद ''0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि'' में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर इस न्यायालय के नम्बर से कम हो।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 23-06-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)